(207)

संख्या-✓ /XVIII(1)/2011–1/2002

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांकः 28 नवम्बर, 2011**

विषयः–जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील सितारगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों एवं तहसील परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–963/नौ0/हे0–ना0/11 दिनांक 20 अगस्त, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर सितारगंज के अन्तर्गत तहसील एवं उप जिलाधिकारी कार्यालय भवन एवं तहसील परिसर सितारगंज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन लागत कमशः ₹ 4.37 लाख एवं ₹ 7.58 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि कमशः ₹ 3.44 लाख एवं ₹ 6.08 लाख के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न तालिका अनुसार उपरोक्त कार्यो हेतु ₹ 9.52 लाख (₹ नौ लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के

2–

आगणन में समायोजित की जाय।

7. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 गठित कर लिया जाय जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय /अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–133P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या–1162(1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/एम0आई0सी0।
8. लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड, खटीमा।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– 1620/XVIII(1)/2011–1(19)/2009 दिनांक 28 नवम्बर, 2011 का संलग्नक

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मूल लागत	औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत	वर्ष 2011–12 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1.	तहसील एवं उप जिलाधिकारी कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4.37	3.44	3.44
2.	तहसील परिसर सितारगंज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण (प्रथम चरण)	7.58	6.08	6.08
योग		11.95	9.52	9.52

(₹ नौ लाख बावन हजार मात्र)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव